बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

बिहार राज्य, मध्याह्न भोजन योजना समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

कार्यालय, जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्वी चम्पारण।

संवेदक के चयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 435 दिनांक 12.04.2013 पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.2011 एवं पत्रांक 409 दिनांक 13.08.2008 के आलोक में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत वितीय वर्ष 2013-14 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव कर एवं विद्यालयों में पहुँचाव हेतु जिला के **बनकटवा, ढ़ाका, पताही, तेतरिया, मेहसी, कल्याणपुर, हरसिद्धि, एवं पहाड़पुर प्रखण्ड में प्रत्येक प्रखण्ड के लिए** संवेदकों के चयन हेतु इच्छुक संवेदकों से निम्नलिखित शर्तो पर मुहरबन्द निविदा केवल निबंधित डाक द्वारा जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पदनाम से, निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 **(पन्द्रह)** वे दिन तक अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त की जायगी। और निविदा खोलने की तिथि की सूचना दैनिक समाचार पत्र एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट पर निविदा खोलने से एक सप्ताह पूर्व प्रकाशित कर दी जायेगी। उक्त अवसर पर निविदा कर्ता उपस्थित रह सकते है।

निविदा हेतु शर्ते निम्नवत है:-

1. संवेदक को कम से कम 8 ट्रैक्टर ट्राली सहीत/पिकअप/ट्रक मालिकों का लिखित इस आशय का एकरारनामा (वाहन के पेपर सहित) प्रस्तुत करना होगा कि संवेदक के रूप में चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर ट्राली सहीत/पिकअप/ट्रक को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव एवं विद्यालय में पहुँचाव हेतु उपलब्ध करायेंगे।

2. संवेदक को 50000 (पचास हजार) रूपये की बैंक गारंटी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पक्ष में जमा करना होगा।

3. संवेदक अभ्यर्थी को आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो तीन माह के अन्दर का हो, निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।

4. संवेदक को 10000 (दस हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना होगा जो सेवा जारी रहने तक जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय मे जमा रहेगा।

5. समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य करने पर संवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10000 (दस हजार) रूपया जप्त कर ली जायेगी।

6. खाद्यान्न (चावल) का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवता के लिये प्रखण्ड साधन सेवी (म०भो०यो०) एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न (चावल) निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, इंधन, लगने वाली मजदूरी, हाथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत **S.I.O.** के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से म०भो०यो० के खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखण्ड साधन सेवी के द्वारा प्रत्येक माह की 7 वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता

आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 15 वीं तारीख तक खाद्यान्न का वितरण/पहुँचाव सुनिश्चित किया जायेगा। प्रखण्ड साधन सेवी विद्यालय प्रधान/प्रभारी प्रधान द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुये, प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को माह की 20 वीं तारीख तक उपलब्ध करायेगें। जिला प्रभारी पदाधिकारी, म0भो0यो0, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी, प्रखण्ड के विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरान्त परिवहन सह हाथालन मद में 40/- रूपया प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान माह की 27 वीं तरीख तक करना सुनिश्चित करेंगे।

7. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद या चोरी होने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।

8. एकरनामा इस वितीय वर्ष के लिए 31.03.2014 तक के लिए किया जायेगा। संवेदक के कार्य करने में असफल होने या कार्य संतोषप्रद नही करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है।

9. वर्तमान वितीय वर्ष में संवेदक का कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में ऐसे संवेदकों की सूची को निदेशक महोदय के ज्ञापांक 1330 दिनांक 17.08.2012 में वर्णित कमिटि के द्वारा अगले वितीय वर्ष हेतु एक वर्ष के लिए सेवा का अवधि विस्तार दिया जायेगा। संवेदक के क्रियाकलाप का मूल्यांकन निदेशक, म0भो0यो0, बिहार, पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.2011 के उप कण्डिका 06 में वर्णित समय सीमा के अनुपालन में किया जायेगा।

10. संवेदक अभ्यर्थी को अपना हाल का ही बनवाया तीन रंगीन फोटोग्राफ, जो अभिप्रमाणित हो के साथ, निविदा देना अनिवार्य है।

11. एक संवेदक का चयन एक ही प्रखण्ड के लिये किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार एक संवेदक को एक से अधिक प्रखण्ड का आवंटन किया जा सकता है।

12. निर्धारित तिथि/समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

13. संवेदक अभ्यर्थी पैनकार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न कर समर्पित करें।

14. संवेदक अभ्यर्थी को निविदा के लिफाफा पर एवं निविदा फार्म पर किस प्रखण्ड के लिए निविदा दी जा रही है अंकित करना अनिवार्य होगा एवं एक अभ्यर्थी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा दे सकते है।

15. **किसी भी निविदा अथवा पूरी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।**

Sd/- 26/07/13
जिला प्रभारी पदाधिकारी, म0भो0यो0,
-सह-सदस्य सचिव चयन समिति, पू0 चम्पारण।

Sd/- 26/7/13
जिलाधिकारी
-सह- अध्यक्ष, चयन समिति, पू0 चम्पारण।